गोपनीय

संख्या:-3499आर/छ:-पु-5-89

प्रेषक,

श्री गोविन्द वल्लभ पाण्डे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 1990

विषय:-आयुध अधिनियम-1962 के अन्तर्गत भारत सरकारकी अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1989 की अद्धतन अनुसूची-2 के अनुसार प्रपत्र-11, 12, 13, 14 के लाइसेंसों को नवीनीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान अधिसूचना संख्या 1616 आर/8-बी-2-107/68, दिनांक 22 मई, 1970 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना द्वारा आयुध नियमावली-1962 के नियम-4 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रपत्र-11 और 12 के व्यवसायिक लाइसेंसों के नवीनीकरण का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिनिहित किया गया था।

2. आयुध नियमावली 1962, जिसका संशोधन भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनॉक 24 जनवरी, 1989 द्वारा किया गया है, के लागू होने के पश्चात् अनुसूची-2 की मद संख्या-9 व 11 के अनुसार प्रपत्र-11 पर लाइसेंस जारी करने काऔर जारी लाइसेंसों के नवीनीकरण का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। प्रपत्र-12 पर लाइसेंस स्वीकृत करने और उन लाइसेंसों का नवीनीकरण करने के लिए भी राज्य सरकार ही सक्षम है।

3. इन परिस्थितियों में, आयुध नियमावली -1962 में अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1989 द्वारा किये गये संशोधन के उपरान्त (उत्तर प्रदेश की विज्ञाप्ति संख्या-जी0आई0-16आर/8-5-1262/87 [टी0सी], दिनांक 5 सितम्बर, 1989 द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित की गयी), प्रपत्र-11 और 12 के लाइसेंसों के नवीनीकरण के अधिकारी का प्रतिनिधायन समाप्त हो गया है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नवीनीकरण कियाजाना विधि संगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त संशोधन के पश्चात् उपर्युक्त प्रकार के नये व्यवसायिक लाइसेंसों की स्वीकृति और नवीनीकरण काअधिकार केवल राज्य सरकार को है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि प्रपत्र-11 और 12 के व्यवसायिक शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने हेतु संदर्भ शासन को भेजने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(गोविन्द वल्लभ पाण्डे,)
विशेष सचिव,